

पत्रांक.....71...../न0प0

दिनांक- 09/01/2019

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत "सर्वेक्षण-2019 को देखते हुए साहिबगंज शहर को स्वच्छ एवं साफ सुथारा बनाये रखने हेतु पूर्ण सह अपेक्षित है:-

सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि :-

1. घरों एवं दुकानों में डस्टबीन का प्रयोग करें।
2. कचरा यत्र-तत्र न फेंकें, कुड़ेदानी का प्रयोग करें।
3. प्रतिबंधित पोलोथिन का प्रयोग एवं बिक्री आदि नहीं करें।
4. अपने-अपने पशुओं को अवारा न छोड़ें। पशुओं को सड़क, गली, एवं आम रास्ता, सरकारी जमीन पर बाँधें न ही गंदगी फैलाएँ। पकड़ें जानें पर जुर्माना सहित कार्रवाई की जायेगी।
5. आचार फैक्ट्री, मिठाई फैक्ट्री ऐसे अन्य कारखानों द्वारा गंदगी फैलाने तथा नाली में अपशिष्ट डालें जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
6. सड़क किनारे नाली पर गिट्टी, बालु, ईटा आदि रखकर अतिक्रमण नहीं करें। अन्यथा जब्त कर दिया जायेगा।
7. होटल, धर्मशाला, नर्सिंग होम आदि अपने कचरे का निपटारा सही ढंग से करेंगे।
8. सड़क पर नाली के उपर, सड़क दुकान लगाकर या बढ़ाकर दुकानदारी करने वालों अपनी सामान तु हटा लें। निरीक्षण के क्रम में पकड़ें जाने पर जुर्माना सहित कार्रवाई की जायेगी।
9. मीट बाजार, मछली बाजार, सब्जी बाजार, फल बाजार सभी को स्वच्छ एवं साफ सुथारा बनाएँ र जानवरों की हड्डियों, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क/आम रास्ता डालकर गन्दगी न फैलाएँ।
10. स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इसमें सभी नागरिकों से अपील की जाती है इसमें अपना पूर्ण सहयोग अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि को देंगे। इसे आवश्यक समझें।

ज्ञापांक.....71...../ साहिबगंज, दिनांक- 09/01/2019

प्रतिलिपि:- श्री विजय चौरसिया, प्रचारक., भरतियाँ कॉलोनी, साहिबगंज को आदेश दिया जाता कि वे अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र से नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत सभी वार्डों में (वार्ड सं0-01 से 28 तक में) इस प्रचार-प्रसार दो दिनों तक करना सुनिश्चित करें।

ज्ञापांक.....71...../ साहिबगंज, दिनांक- 09/01/2019

प्रतिलिपि- नगर प्रबंधक/ लेखापाल, सा0न0प0/ एस0बी0एम0 प्रभारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं उ कार्य विभागीय पत्रांक-1890 दिनांक-17.12.2018 के आलोक में SBM-(ss2019) IEC मद से सम्पादित कर सुनिश्चित करेंगे।